न्यायालय सहायक ...
(पीठासीन अधिका...)
...जस्व वाद संख्या 26/2023
वादीगण
शकरनाथ पुत्र अमरन...
जाति स्वामी, निवासी...
तहसील व ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जारी हुए
21.6.23	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार शिव से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के वादी अधिवक्ता की विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा TDR शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई। बहस सुनी जाकर निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) शिव	T. D. R शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवारा करने हेतु सहमति देता हूँ। (हस्ताक्षर) (अधिवक्ता वादी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 26/2023 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
शंकरनाथ पुत्र अमरनाथ जाति स्वामी, निवासी बीसूकला तहसील व जिला बाड़मेर		1. थानसिंह पुत्र भंवरसिंह 2. पुजा कंवर पुत्री भंवरसिंह 3. प्रेम कंवर पुत्री भंवरसिंह 4. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह 5. महासिंह पुत्र भंवरसिंह 6. शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह 7. सांगसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत, निवासी गुमाने का तला तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 8. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी शाखा शिव 9. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीगण – श्री ईश्वरसिंह भाटी।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 21.06.2023

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल बीसुकला के ग्राम जोधसिंह का गांव के खेत खसरा नम्बर 308/76 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	शंकरनाथ पुत्र अमरनाथ हि. पूर्ण जाति अन्य सा. देह खातेदार	जोधसिंह का गांव	308/76	4.0468	बा.चा.	0.12	गुलाबी
2	थानसिंह1/7, मदनसिंह1/7, महासिंह1/7, शैतानसिंह1/7, सांगसिंह1/7, पूजांकवर1/7, प्रेमकंवर1/7 पि. भंवरसिंह रहन पूर्ण खाता आरएमजीबी शाखा शिव जाति राजपुत सा. गुमाने का तला तह. चौहटन खातेदार	जोधसिंह का गांव	308/76	8.0938	बा.चा.	0.24	हरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित इस निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव